मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः04.05.2026

थाना कछवां पुलिस द्वारा अवैध असलहा तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस मुठभेड़ में 02 अन्तर्रजनपदीय असलहा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद पिस्टल मय मैग्जीन, 02 अदद अतिरिक्त मैग्जीन, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा पुरस्कार घोषित/इनामियाँ/गो-तस्करी तथा अवैध मादक पदार्थों/असलहों की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिए गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर-नितेश सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर-मुनेन्द्र पाल सिंह, प्रभारी थानाध्यक्ष कछवां के रूप कार्यरत् सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षणाधीन-कनिष्क आर.जामकर के नेतृत्व में थाना कछवां पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः04.05.2026 को थाना कछवां पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 02 मोटरसाइकिल सवार चार लोग भटौली के रास्ते भदोही की तरफ जा रहे है जो अपने पास अवैध असलहा रखें है। उक्त सूचना पर थाना कछवां पुलिस टीम द्वारा भटौली पुलिस श्मशान घाट के पास घेराबंदी कर सघन वाहन चेकिंग की गयी। इस दौरान दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया तो पुलिस से स्वयं को घिरता देखकर मोटरसाइकिल सवार द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार 02 अभियुक्तों 1. हरिओम पाण्डेय पुत्र गोपाल जी पाण्डेय निवासी मड़फा थाना कोरांव जनपद प्रयागराज व 2.बालअपचारी को पकड़ा गया। कब्जे से घटना में प्रयुक्त सहित अन्य कुल 03 अदद पिस्टल .32 बोर मय मैग्जीन, 02 अदद अतिरिक्त मैग्जीन, 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया जबकि दूसरी मोटरसाइकिल सवार दो अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहें। मौके से फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कछवां पर मु0अ0सं0-76/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा मौके से बरामद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस वाहन संख्या UP63AY6884 का वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे मध्य प्रदेश से अवैध असलहा कम दामों पर खरीद कर लाते है जिसे आसपास के जनपदों में ऊँचे दामों पर बेच देते है, बिक्री से प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.हरिओम पाण्डेय पुत्र गोपाल जी पाण्डेय निवासी मड़फा थाना कोरांव जनपद प्रयागराज, उम्र करीब-22 वर्ष।

2.बालअपचारी

विवरण बरामदगी —

- 03 अदद पिस्टल .32 बोर मय मैग्जीन, 02 अदद अतिरिक्त मैग्जीन
- 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर
- 02 अदद मोबाइल फोन
- 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस वाहन संख्या UP63AY6884

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-76/2026 धारा 109 बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तार का स्थान, दिनांक व समय —

भटौली पुल श्मशान घाट के पास से, आज दिनांक 04.05.2026 को समय 02:05 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक अमरजीत चौहान, प्रभारी निरीक्षक थाना कछवां, मीरजापुर।

उपनिरीक्षक विनय कुमार दुबे व साहिद यादव।

मुख्य आरक्षी धनन्जय राय, पंचम राम व आरक्षी राहुल पासी।

****